## <u>न्यायालय: गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण कमांक : 378/10 इ0फौ०

संस्थापन दिनांक : 12.07.2010

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र.

- अभियोजन

## <u>बनाम</u>

1—रामौतार बरेठा पुत्र भागीरथ बरेठा, उम्र 25 साल, निवासी ग्राम कठवा हांजी थाना गोहद जिला भिण्ड

– अभियुक्त

## निर्णय

( आज दिनांक......को घोषित )

- 1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 338 भा.द.स. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 13. 03.10 को दिन के ढाई बजे सीलम गोदाम जे.एच.डब्ल्यू. मालनपुर पर वाहन कमांक एम0पी0-07-जी.-0134 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा आहत महेन्द्र अ0सा04 को टक्कर मारकर उसे घोर उपहति कारित की।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी महेन्द्र कुमार अ०सा०४ मालनपुर में चौहान केन वालों के यहां गाड़ी कमांक एम.पी.-07-जी.0134 पर हैल्परी का काम करता था । दिनांक 13.03.10 को दिन के ढाई बजे फरियादी महेन्द्र कुमार अ०सा०४ रोज की तरह सीलम गोदाम जे.एच.डब्ल्यू. में उक्त गाड़ी लोडिंग करने गया था तब दिन के ढाई बजे रामौतार ने उक्त गाड़ी को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसके दोनों पैरों में टक्कर मार दी जिससे वह गिर पड़ा तथा

उसके दोनों पैर टूट गये तथा वह चलने फिरने में असमर्थ हो गया तब चौहान केन वाले उसे उठाकर सर्वोदय अस्पताल ग्वालियर ले गये जहां उसका इलाज हुआ। तत्पश्चात फरियादी महेन्द्र कुमार अ०सा०४ ने थाना मालनपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी-४ की दर्ज कराई जिस पर से अप०क० ४०/१० का पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

- 3. आरोपी ने अपराध की विशिष्टियां अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :—
  1. क्या आरोपी ने दिनांक 13.03.10 को दिन के ढाई बजे सीलम गोदाम जे.एच.डब्ल्यू. मालनपुर पर वाहन कमांक एम0पी0-07-जी.-0134 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?
  - 2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर उपरोक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आहत महेन्द्र अ0सा04 को टक्कर मारकर उसे घोर उपहति कारित की ?
- / विचारणीय प्रश्न कमांक 01 व 02 का सकारण निष्कर्ष / / 5. फरियादी महेन्द्र कुमार अ०सा०४ ने कथन किया है कि वह आरोपी रामौतार को जानता है। दिनांक 18.09.15 से 4-5 वर्ष पूर्व दो—ढाई बजे आरोपी रामौतार शराब पीकर आया वह पैदल जा रहा था और रामौतार ने नशे की हालत में गाड़ी स्पीड में चलाकर उसके उपर चढ़ा दी उक्त घटना जे.एच.डब्ल्यू मालनपुर के गोदाम की है वह 15 मिनट गाड़ी के नीचे दबा रहा और जब केन आई तब उसे निकाला था। जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी उसका नंबर एम०पी०-07-डी.ए.0134 था जो हैडरा केन गाड़ी थी चौहान केनवाले उसे गाड़ी से ग्वालियर ले गये। दुष्ट दिना में उसे दोनों पैर में चोट आई थी जिसकी रिपोर्ट प्र0पी-4 उसने थाने पर की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौंका प्र0पी-2 के जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।
- 6. साक्षा दिलीप अ०सा०१ ने कथन किया है कि दिनांक 05.09.13 से 3-4 वर्ष पूर्व उसे पता चला था कि महेन्द्र अ०सा०४ का एक्सीडेन्ट हो गया है तब वह उससे मिलने सहारा अस्पताल ग्वालियर गया था इसके अलावा उसे कोई जानकारी नहीं है। उसे लोगों ने बताया था कि पैर पर हैडरा गाड़ी का पहिया चढ़ गया था जिससे महेन्द्र को चोटें आई इसके अलावा

उसे कोई जानकारी नहीं है उसने स्वयं कोई घटना होते नहीं देखी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षाविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 13.03.10 को वह चौहान केनवालों के यहां मजदूरी करता था। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि गाड़ी कमांक एम0पी0-07-जी.0134 का चालक आरोपी रामौतार था यह उसने पुलिस को बता दिया था। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपी रामौतार ने गाडी को तेजी व लापरवाही से चलाकर महेन्द्र सिंह अ0सा04 को टक्कर मार दी थी। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-1 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

- ्रसाक्षी शंकर सिंह अ०सा०२ ने कथन किया है कि वर्ष 2010 में महेन्द्र अ0सा04 का एक्सीडेन्ट हुआ जो किसने किया 🎒 नहीं मालूम। घटना के समय महेन्द्र अ0सा04 नशे में था और महेन्द्र अ0सा04 की गलती से दुर्घटना हुई। अभियोजन द्व ारी साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 20.04.10 को उसने कि महेन्द्र अ0सा04 को गाडी शा एम0पी0-07-जी.0134 के ड्राइवर आरोपी रामौतार ने तेजी व लापरवाही से चलाकर टक्कर मार दी। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-2 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
- साक्षी मानसिंह अ०सा०३ ने कथन किया है कि उसे ध 8. ाटना की जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूर्छ जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 13.03.10 को उसने बताया था कि चौहान केन सर्विस के ड्राइवर रामौतार ने तेजी व लापरवाही से गाडी चलाकर महेन्द्र अ०सा०४ में टक्कर मार दी थी। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-4 में भी दिए जाने से इंकार किया है। साक्षी रिन्कू अ0सा05 ने कथन किया है कि उसे घटना की जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि घटना उसके सामने हुई थी और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि दिनांक 13.03.10 को आरोपी रामौतार ने केन को तेजी व लापरवाही से चलाकर महेन्द्र अ0सा04 को टक्कर मार दी थी। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-5 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

- 9. अतः घटना के अभिलिखित स्वतंत्र प्रत्यक्ष साक्षी दिलीप अ0सा01 व रिन्कू अ0सा05 ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। अनुश्रुत साक्षी मानसिंह अ0सा03 व शंकर अ0सा02 ने भी अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।
- साक्षी डाॅ0 संयुक्त इंगले अ0सा06 ने कथन किया है कि 10. वह डॉ० ए.प्रिया के साथ वर्ष 2009 से 2012 तक जे.ए.एच. ग्वालियर में चिकित्सक के रूप में कार्यरत रही है। उक्त अवधि में डॉ0 ए.प्रिया रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ थी। उसने उनके साथ कार्य किया है इसलिए वह उनके हस्ताक्षर पहचानती है। प्रकरण अभिलेख के अनुसार दिनांक 21.04.10 को आहत महेन्द्र पुत्र ग्यासीराम निवासी बिरला नगर ग्वालियर को आर.एस. ओ. अस्थिबाह्य जे.ए.एच. ग्वालियर द्वारा रैफर किए जाने पर एक्सरे परीक्षण किया गया था जिसमें दाहिने व बांये पैर का एक्सरे परीक्षण किया गया था और बांये पैर की टिबिया अस्थि कि एक तिहाई निचले भाग पर साफट में अस्थिभग होना पाया गया था तथा इसमें आर्थोपेडिक इन्प्लांट लगाया गया है और बाँये पैर की फिब्ला अस्थि में निचले एक तिहाई भाग पर और दांयी टिबिया में अस्थिभंग पाया था। डॉ0 ए.प्रिया द्वारा दी गयी रिपोर्ट प्र0पी-5 है जिसके ए से ए भाग पर डाॅ0 ए.प्रिया के हस्ताक्षर है जिन्हें वह पहचानती है। अतः इस साक्षी ने रिपोर्ट प्र0पी-5 साबित की है।
- 11. साक्षी महेन्द्र सिंह अ०सा०४ जो आहत है की ही साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में अभियोजन मामले के समर्थन में दी गयी है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में कथन किया है कि आरोपी और वह एक ही स्थान पर कार्य करते हैं इसलिए वह उन्हें जानता है और एफ.आई.आर प्र०पी—4 में आरोपी का नाम न लिखाये जाने से इंकार किया है। जबकि एफ.आई.आर. प्र०पी—4में आरोपी का नाम उल्लिखित नहीं है। अतः महेन्द्र अ०सा०४ जिसका आरोपी सहकर्मी है और वह उससे पूर्व परिचित है तब भी उसका नाम रिपोर्ट प्र०पी—4 में उल्लिखित नहीं है जिसका लोप भी महेन्द्र अ०सा०४ ने अस्वीकार किया है। अतः एफ.आई.आर. प्र०पी—4 भी विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है और महेन्द्र अ०सा०४ ने प्रथम बार साक्ष्य में आरोपी का नाम बताया है जबकि उसे पूर्व से ज्ञान था। अतः उक्त लोप तात्विक प्रकृति का है। जिसे उक्त साक्षी स्पष्ट नहीं कर सका है।
- 12. एफ.आई.आर. प्र0पी-4 में दुर्घटना वाहन कमांक एम0पी0-07-जी.0134 से कारित होना उल्लिखित है। लेकिन मुख्यपरीक्षण और प्रतिपरीक्षण में महेन्द्र अ0सा04 ने स्पष्ट कथन किया है कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर एम0पी0-07-डी.ए.0134 था। अतः दो अंकों का विरोधाभास है उक्त विरोधाभास तात्विक है क्यों कि महेन्द्र अ0सा04 ने बताया है कि वह उक्त वाहन पर ही हैल्परी का काम करता था। अतः

जिस वाहन पर वह कार्य करता था वह वाहन एवं अभियोजन वाहन कमांक में भी तात्विक अंतर है जबकि वाहन कमांक का ज्ञान महेन्द्र अ0सा04 को उसके कार्य के दौरान से ही था।

- 13. शंकर अ०सा०२ ने मुख्ण्यपरीक्षण में बताया है कि घटना के समय महेन्द्र अ०सा०४ नशं में था उक्त साक्षी महेन्द्र अ०सा०४ का जीजा है। उक्त साक्षी यद्यपि प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है परन्तु अभियोजन मामले में अनुश्रुत साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया गया है इसके विपरीत महेन्द्र अ०सा०४ ने घटना के समय आरोपी रामौतार को नशं की हालत में होना बताया है परन्तु इस आशय के तथ्य एफ.आई.आर. प्र०पी-४ में भी उल्लिखात नहीं हैं। अतः महेन्द्र द्वारा अतिरंजनापूर्ण साक्ष्य दी गयी है।
- 14. अतः घटना के किसी भी प्रत्यक्ष व अनुश्रुत साक्षी ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। आहत साक्षी महेन्द्र अ0सा04 के कथन में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन कमांक का उपरोक्त विवेचना अनुसार तात्विक विरोधाभास है और अरोपी से पूर्वपरिचित होने के उपरांत भी एफ.आई.आर. प्र0पी—4 में आरोपी के नाम का लोप स्पष्टतःविहीन रहा है। आरोपी के नशे में वाहन चलाये जाने के संबंध में भी महेन्द्र ने अतिरंजनापूर्ण कथन किए हैं। जबिक उसी के जीजा शंकर अ0सा02 ने महेन्द्र अ0सा04 के ही नशे में होना बताकर महेन्द्र अ0सा04 की ही उपेक्षा बतायी है। अतः उक्त कारणों से महेन्द्र अ0सा04 की एकल साक्ष्य विश्वसनीय और निर्भर रहने योग्य नहीं है।
- 15. अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 13.03.10 को दिन के ढाई बजे सीलम गोदाम जे.एच.डब्ल्यू. मालनपुर पर वाहन कमांक एम0पी0-07-जी.-0134 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया तथा आहत महेन्द्र अ0सा04 को टक्कर मारकर उसे घोर उपहति कारित की।
- 16. परिणामतः आरोपी को धारा 279, 338 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 17. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 18. वाहन द्रक क्मांक एमंग्पी0-07-जीं.-0134 सुपुर्दगी में है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अविध पश्चात उन्मोचित किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / –
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0